



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2019/पौष 5, 1941

No. 493]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2019/PAUSHA 5, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 26 दिसम्बर, 2019

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ]

(छठा संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/47.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. ये विनियम, इन विनियमों के प्रवृत्त (लागू) होने की तारीख को या उसके पश्चात् दाखिल किए जाने वाले प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर), प्रस्ताव-पत्र और संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र के प्रति लागू होंगे।
4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-

- I. विनियम 70 में, उप-विनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
- “(7) प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) और संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र में, निर्गमकर्ता (इश्युअर) डीमैट खाते में अधिकारों संबंधी हकदारियाँ (राइट्स एन्टाइट्लमेंट्स) जमा कराए जाने की और उनका त्याग किए जाने की प्रक्रिया प्रकट करेगा।”
- II. विनियम 76 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
- “निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (ए.एस.बी.ए.)**
- 76.** साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) के अंतर्गत आवेदन करने वाला आवेदक ऐसा केवल ए.एस.बी.ए. की सुविधा का इस्तेमाल करके ही करेगा, निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा ऐसी सुविधा उसी प्रकार प्रदान की जाएगी जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए :
- परंतु यह कि निर्गम (इश्यू) की अवधि के बाद किसी आरक्षित हिस्से के लिए किए जाने वाले आवेदन के संबंध में भुगतान किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग माध्यम से करने की अनुमति होगी।”
- III. विनियम 77 के पश्चात् और विनियम 78 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
- “अधिकारों संबंधी हकदारियाँ (राइट्स एन्टाइट्लमेंट्स) जमा करना और निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का आबंटन**
- 77क.** (1) अधिकारों संबंधी हकदारियाँ (राइट्स एन्टाइट्लमेंट्स) निर्गम (इश्यू) के खुलने की तारीख से पहले शेयरधारकों के डीमैट खाते में जमा कर दी जाएँगी।
- (2) निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का आबंटन केवल गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में ही किया जाएगा।”
- IV. विनियम 84 में, -
- (क) शब्द “तीन”, शब्द “दो” से प्रतिस्थापित हो जाएगा ;
- (ख) शब्द तथा चिह्न “एक समाचारपत्र, जहाँ निर्गमकर्ता का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित हो, में विज्ञापन जारी करेगा” शब्दों तथा चिह्नों, “एक दैनिक समाचारपत्र, जहाँ निर्गमकर्ता का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित हो, में विज्ञापन जारी करेगा और स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइटों पर प्रसारित करने हेतु स्टॉक एक्सचेंजों को भी इसकी सूचना देगा” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ;
- (ग) मौजूदा खंड (क) के ऊपर दिया हुआ पैरा खंड (क) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा और मौजूदा खंड (क), (ख), (ग) एवं (घ) क्रमशः खंड (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएंगे।
- V. विनियम 87 में, शब्द “खोला जाएगा”, शब्दों, “खुला रखा जाएगा और निर्गम (इश्यू) के बंद होने की तारीख के बाद आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- VI. विनियम 88 में, निम्नलिखित दूसरा परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि निर्गम (इश्यू) की अवधि के बाद, बाकी की रकम का मांगे जाने पर भुगतान इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग माध्यमों से किया जा सकेगा।”

- VII. अनुसूची-V में, प्ररूप-क में, शब्दों तथा चिह्न “हम पुष्टि करते हैं कि:” से शुरू होने वाले पैरा में,-
- क. खंड (10) का लोप हो जाएगा और मौजूदा खंड (11), (12) एवं (13) क्रमशः खंड (10), (11) एवं (12) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएंगे;
- ख. इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (12) के पश्चात्, दिए हुए चिहनों तथा शब्दों “* साधिकार निर्गम में प्रतिभूतियों का प्रमाणपत्र कागजी रूप में प्राप्त करने का विकल्प इन विनियमों के लागू होने की तारीख से केवल छह महीनों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।” का लोप हो जाएगा।
- VIII. अनुसूची-VI में, भाग-ख में, खंड (5) में, -
- क. उप-खंड (XVIII) में,-
- i. मद (1) में, शब्द तथा चिह्न “और प्रक्रिया तथा आबंटन करने और प्रमाणपत्र जारी किये जाने / डिमैट खाते में जमा करवाने की समय-सूची” शब्दों तथा चिहनों “और आबंटन करने तथा प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) को डीमैट खाते में जमा करवाने (क्रेडिट करने) की प्रक्रिया एवं समय-सूची” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- ii. मद (2) में, -
- क. उप-मद (ख) में, पैरा 2 का लोप हो जाएगा;
- ख. उप-मद (ड) में, शब्द तथा चिह्न “आवेदन के साथ अदा की जाने वाली रकम, और निर्गमकर्ता के खाते के पक्ष में लिखे जाने वाले चैक के विवरण आदि” शब्दों तथा चिहनों “वह रकम जो ए.एस.बी.ए. की सुविधा का इस्तेमाल करके एससीएसबी के पास ब्लॉक (निरुद्ध) की गई हो” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ;
- ग. उप-मद (च) में, शब्दों तथा चिह्न “और किसी प्रयोजन जिसमें त्याग सम्मिलित है के लिए आवेदन फॉर्म का उपयोग नहीं करेंगे, फिर भले ही यह बाद में प्राप्त हुआ हो” का लोप हो जाएगा।
- iii. मद (5) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्, -
- “(5) यह कथन कि पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित प्रतिभूतियों को डीमैट खाते में जमा करवा दिया जाएगा / ए.एस.बी.ए. को अनब्लॉक करवा दिया जाएगा (निरुद्धता हटा दी जाएगी) / धन-वापसी कर दी जाएगी (रिफंड कर दिया जाएगा), और ए.एस.बी.ए. को अनब्लॉक करने / धन-वापसी (रिफंड) करने में देरी होने पर निर्धारित दर पर ब्याज अदा किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा के भीतर धन-वापसी (रिफंड) न किए जाने के मामले में, ब्याज (तय की गई ब्याज दर के अनुसार) के साथ धन-वापसी (रिफंड) करने के संबंध में निर्गमकर्ता (इश्युअर) और उसके निदेशकों (जो चूककर्ता अधिकारी हों) के दायित्व का भी उल्लेख किया जाएगा।”

iv. मद (6) में, पैरा (ग) में, मौजूदा उप-पैरा (i), (ii) एवं (iii) उप-पैरा (ii), (iii) एवं (iv) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएंगे और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-पैरा (ii) से पूर्व, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(i) ए.एस.बी.ए. की सुविधा का इस्तेमाल करके ब्लॉक (निरुद्ध) की गई रकम को अनब्लॉक करना (निरुद्धता हटाना);”

(ख) उप-खंड (XIX) में, मद (च) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्, -

“(च) निरुद्ध रकम से समर्थित समस्त आवेदनों (ए.एस.बी.ए.) को एकत्र करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे।”

(ग) उप-खंड (XXIII) में, मद (क) निम्नलिखित मद से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्, -

“(क) निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) का आबंटन गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में किया जाएगा।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./380/19]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् -
 - (क) 31 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा
 - (ख) 29 मार्च 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा
 - (ग) 5 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/08, द्वारा
 - (घ) 29 जुलाई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/29, द्वारा

- (ङ) 23 सितम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/35, द्वारा
- (च) 6 दिसम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/42, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th December, 2019

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.— In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. These regulations shall be applicable to the draft letter of offer, letter of offer and abridged letter of offer filed on or after the date of coming into force of these regulations.
4. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018,-
 - I. In regulation 70, after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(7) In the letter of offer and the abridged letter of offer, the issuer shall disclose the process of credit of rights entitlements in the demat account and renunciation thereof.”
 - II. Regulation 76 shall be substituted by the following regulation, namely,-

“**ASBA.**

76. An applicant to the rights issue shall do so only through the ASBA facility, which facility shall be provided by the issuer in the manner specified by the Board:
Provided that payment through any other electronic banking mode shall be permitted in respect of an application made for any reserved portion outside the issue period.”
 - III. After regulation 77 and before regulation 78, the following regulation shall be inserted, namely,-

“**Credit of rights entitlements and allotment of specified securities.**

77A. (1) The rights entitlements shall be credited to the demat account of the shareholders before the date of opening of the issue.

(2) Allotment of specified securities shall be made in the dematerialised form only.”
 - IV. In regulation 84, -
 - A. the word “three” shall be substituted by the word “two”;
 - B. after the words “is situated” and before the words and symbol “, at least”, the words and symbol, “and also give an intimation to the stock exchanges for dissemination on their websites” shall be inserted.

- V. In regulation 87, after the words “thirty days” and before the symbol “.”, the words “and no withdrawal of application shall be permitted after the issue closing date” shall be inserted.
- VI. In regulation 88, the following second proviso shall be inserted, namely,-
- i. “Provided further that payment of balance money in calls, outside the issue period, may be through electronic banking modes.”
- VII. In Schedule V, in Form A, in the paragraph beginning with the words and symbol “We confirm that:”,-
- A. clause (10) shall be omitted and existing clauses (11), (12) and (13) shall be re-numbered as clauses (10), (11) and (12) respectively;
- B. after clause (12) so re-numbered, the symbols and words “[*The option to receive physical security certificates in a rights issue shall be available only for a period of six months from the date of coming into force of these regulations.]” shall be omitted.
- VIII. In Schedule VI, in Part B, in clause (5), -
- A. in sub-clause (XVIII),-
- i. in item (1), the words and symbol “issue of certificates/demat credit” shall be substituted by the words “demat credit of securities”;
- ii. in item (2), -
- a. in sub-item (b), para 2. shall be omitted;
- b. in sub-item (e), the words “paid along with application, and particulars of cheque, etc. to be drawn in favour of the issuer’s account” shall be substituted by the words “blocked with SCSB for using ASBA facility”;
- c. in sub-item (f), the words “and shall not utilise the application form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently” shall be omitted.
- iii. in item (5),-
- a. the word and symbol “/ refunds” shall be substituted by the words and symbols “/ un-blocking of ASBA/ refunds”;
- b. the word “refund” shall be substituted by the words and symbol “un-blocking of ASBA/refund”
- iv. in item (6), in para c), existing sub-para (i), (ii) and (iii) shall be re-numbered as sub-para (ii), (iii) and (iv) and before the sub-para (ii) so re-numbered, the following sub-para shall be inserted, namely,-
- “(i) Unblocking amounts blocked using ASBA facility”
- B. in sub-clause (XIX), in item (f), the words “and to consider them similar to non-ASBA applications while finalizing the basis of allotment” shall be omitted;
- C. in sub-clause (XXIII), item (A) shall be substituted by the following item, namely,-
- “(A) Allotment of specified securities shall be in the dematerialised form.”

[ADVT.-III/4/Exty./380/19]

AJAY TYAGI, Chairman

Footnote:

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on September 11, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.

2. The Principal Regulations were subsequently amended on:-

- (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
- (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.

- (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
- (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.
- (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
- (f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.